



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 01.09.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 30.08.2026 को समय सायं 04:30 बजे लगभग प्रार्थी के भाई रिकू उर्फ रिशांत पुत्र निरंजन शर्मा द्वारा गाँव के ही सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा, निवासी ग्राम कन्नौजा को भाई न बोलने पर उक्त सोनू द्वारा अपने चचेरे भाई मोहित पुत्र जीतू व अन्य सोएब पुत्र पेले, छोटा मोहित पुत्र सीताराम, दीपु पुत्र कुल्लन, विकास शर्मा पुत्र कृष्ण, प्रिंस पुत्र जीतू व जीतू पुत्र रिछपाल व कुछ अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी के भाई रिकू उर्फ रिशांत पुत्र श्री निरंजन शर्मा के साथ विवाद (मारपीट) की गयी। सूचना मिली तो प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजाराम व अन्य परिवारजन झगड़े में बीच-बचाव के लिए आये तो मोहित पुत्र जीतू व सोएब पुत्र पेले द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों पर जान से मारने की मंशा से हमला कर दिया गया, साथ ही विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा प्रार्थी के घरों में घुसकर भी मारने का प्रयास किया गया। घटना का शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामवासियों के एकत्रित हो जाने पर विपक्षी उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। इस घटना में प्रार्थी मनीष कुमार व परिवारजन अंकित शर्मा व सचिन शर्मा पुत्रगण स्व० सत्यप्रकाश शर्मा व रिकू उर्फ रिशांत शर्मा पुत्र निरंजन शर्मा को काफी गंभीर चोटें आई हैं तथा प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र राजाराम को मेडिकल उपचार के लिए जीवन अस्पताल मोदीनगर में ले जाया गया तो वहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 109(1), 115(2), 351(3), 333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा 2. सोएब पुत्र पेले 3. प्रिंस पुत्र जीतू निवासीगण ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र में गंगनहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर प्रिंस द्वारा बताया गया कि मेरे बड़े भाई मोहित का रिकू व अंकित के साथ विवाद हो गया था, जिसमें मैं भी मौके पर पहुँच गया था और मेरे पिता जीतू उर्फ जितेन्द्र भी मौके पर आ गये थे, उसी दौरान मोहित, छोटा मोहित उर्फ ऋतिक, सोएब, दीपू, विकास शर्मा उर्फ सैकी ये लोग भी मौके पर मौजूद थे और मौके पर मेरे भाई मोहित को चोट आ गयी थी, मेरे भाई मोहित की चोटें देखकर हम लोग उत्तेजित हो गये थे, मोहित और मेरे पिता जी जीतू उर्फ जितेन्द्र ने तलवार से व मेरे साथियों द्वारा डण्डा, लोहे की रॉड व फावड़े से देवेन्द्र शर्मा, अंकित शर्मा, रिकू शर्मा व मनीष शर्मा के ऊपर वार कर दिया था जिसमें देवेन्द्र की तलवार लगने के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. प्रिंस पुत्र जीतू निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष
2. सोएब पुत्र पेले निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

3. सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त फावड़ा व ईट-पत्थर घटनास्थल के पास ही मौजूद शेर मौहम्मद उर्फ पेले के घर से बरामद किये गये।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

दिनांक 30.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के बेटे नदीम के साथ धारदार हथियार से वार करना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर धारा- 115(2)/ 352/ 351(3)/ 118(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा- 109(1)/ 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सारिक पुत्र इसरार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आज दिनांक 01.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया तथा इसकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी, नदीम के साथ कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। मैंने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदीम के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी तथा मैंने नदीम को चाकू मार दिया था।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.09.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जिलाबदर अभियुक्त सुदीप पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम कादराबाद थाना मोदीनगर कमिश्नेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुदीप उपरोक्त मा० न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश वाद संख्या 23/26 धारा 2/3 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम दिनांकित 20.07.2026 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा- 10 उ०प्र० गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं थाना मोदीनगर से दिनांक 20.07.2026 को जिलाबदर हुआ था। मैं छिपते-छिपाते अपने परिवारीजन से मिलने के लिए मोदीनगर में आया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुदीप पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम कादराबाद थाना मोदीनगर उम्र करीब 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना मोदीनगर पर आयुध/ एनडीपीएस अधि० से सम्बन्धित 02 अभियोग, मारपीट / गालीगलौज करने सम्बन्धित 02 अभियोग व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-06)। अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

:: कांवड़ यात्रा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 TVF स्वयंसेवकों को किया गया सम्मानित::

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशों के क्रम में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस उपायुक्त (यातायात) की अध्यक्षता में अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात प्रथम), सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात द्वितीय) एवं निरीक्षक यातायात की उपस्थिति में आयोजन किया गया। हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा -2026 के पावन अवसर पर कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध बनाए रखने हेतु ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स (TVF) के कुल 216 स्वयंसेवकों की ड्यूटियां लगाई गई थी। इन स्वयंसेवकों ने दिन-रात मुस्तैद रहकर, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी असाधारण अनुशासन, श्रम और सेवा भाव का परिचय दिया तथा पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यातायात संचालन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।

कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी के प्रति अनुकरणीय निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 सर्वश्रेष्ठ TVF स्वयंसेवकों को चिन्हित कर चयनित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त (यातायात) एवं अन्य अधिकारियों द्वारा इन सभी 25 स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र (Certificate of Appreciation) प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुलिस उपायुक्त (यातायात), अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात प्रथम) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात द्वितीय) द्वारा समारोह को संबोधित करते हुए "कांवड़ यात्रा जैसे विशाल एवं संवेदनशील आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में टीवीएफ (TVF) के जवानों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। इन स्वयंसेवकों का निस्वार्थ योगदान समाज और पुलिस के बीच सुदृढ़ समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुलिस प्रशासन इनके जज्बे और समर्पण की सराहना करता है।"

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने सभी स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक सहभागिता और यातायात सुधार अभियानों में बढ़-चढ़कर योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प। आइए मिलकर गाज़ियाबाद के यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाए

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2026 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अजय द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर छत पर ले जाकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा-64(1),115(2),351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजय उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादिया मेरी रिश्तेदार है जो हमारे यहाँ घर पर आयी थी जिसके साथ मैंने गलत काम किया है।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान के अन्तर्गत थाना वेव सिटी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूट की घटना में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से लूट के 02 लाख 03 हजार 540 रु0 बरामद।

दिनांक-21/08/2026 को थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत श्री गिलमान पुत्र नईमुद्दीन निवासी अलीबाग कालोनी मेरठ से स्कॉर्पियो गाडी सवार बदमाशों द्वारा 24,85,000 रु0 की लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर मु0अ0स0-220/26 धारा-309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त क्रम में स्वाट टीम, अपराध शाखा, स्वाट टीम नगर जोन व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया था।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के द्वारा अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में थाना वेवसिटी के उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक- 01/09/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेवसिटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में उक्त अभियोग में वांछित 04 नफर अभियुक्त 1.शान पुत्र शमशाद, 2.अनस उर्फ चुहिया पुत्र सलीम उर्फ बाबू, 3.सोनू उर्फ अरमान पुत्र फकरुद्दीन व 4. कामिल पुत्र नकील को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 लाख 03 हजार 540 रु0 बरामद किये गये हैं।

अभियुक्त का नाम व पता-

1.शान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम महलका थाना फलावदा जिला मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष

2. अनस उर्फ चुहिया पुत्र सलीम उर्फ बाबू निवासी मौ0 श्याम नगर भोपाल की कोठी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष
3. सोनू उर्फ अरमान पुत्र फकरुद्दीन निवासी गली न0 12 श्याम नगर ऊर्चा सदीक नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष
4. कामिल पुत्र नकील निवासी नीलमणी कालोनी अरथला मोहन नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त शान कि हम सब ने मिलकर दिनांक-21/08/2026 को शाम करीब 07 बजे हाईटेक कॉलेज डासना गाजियाबाद के सामने दिल्ली मेरठ रोड से एक थार गाडी को अपनी सफेद रंग की स्कोर्पियो से ओवरटेक करके रुकवाकर उसमें सवार व्यक्तियों से 24,85,000 रुपये (चौबीस लाख पिचासी हजार रुपये) लूट लिये थे। हमें पता चला था कि मेरठ की कम्पनी से माल कैश के रूप में दिल्ली जाता है। पहले आस मौहम्मद और आसिफ ने इस बारे में रैकी की थी। रैकी करने के बाद घटना करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाकर काफी सारे लड़के इकट्ठा किये थे। इसमें ओसामा ने हम लोगों की मदद की ओर ज्यादातर लड़के ओसामा ने इकट्ठा किये थे ओर गाड़ियों का इंतजाम भी ओसामा ने किया था। घटना को अंजाम देने के लिए हम लोग शोएब, चाँद, अनस उर्फ राजा, ओसामा, कामिल, अनस उर्फ डी०के० सहगल, चाचा उर्फ फरदीन उर्फ कल्लू, इंतजार, अनस उर्फ चुहिया, नदीम एवम ओसामा का भाई आदिल तथा ओसामा का एक भाई ओर था जिसका नाम हमें नहीं पता। हम लोग घटना करने के बाद स्विफ्ट, अर्टिगा ओर स्कारपियो गाड़ियों से अलग अलग भाग गये थे। जिससे की पुलिस हमें ना पकड़ पाये। पुलिस से बचने के लिए हम लोग अलग अलग जगहों पर जगह बदल बदल कर छिप रहे थे। आज हम पुलिस से बचते हुए पेरीफेरल हाइवे होते हुए गाँव के रास्तों से होते हुए निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाले थे कि आपने पकड़ लिया। कुछ पैसे हम लोगों ने खर्च कर दिये। हम लोगो से जो रुपये बरामद हुए है वह उसी लूट के है जो हमारे हिस्से मे आये हुए रूपयों मे से बचे हुए है। हमारे कुछ साथी पहले ही जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –

1. अभियुक्त अनस उर्फ चुहिया का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 453/2018 धारा-307,120बी भादवी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ,
2. मु0अ0स0 454/2018 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ
3. मु0अ0स0 1073/2018 धारा - 25 आर्म्स एक्ट थाना खरखौदा जिला मेरठ
4. मु0अ0स0 1069/2018 धारा - 307,120बी,34भादवी थाना खरखौदा जिला मेरठ
5. मु0अ0स0134/2019 धारा - 411,414 भादवी थाना रेलवे रोड जिला मेरठ
6. मु0अ0स0 863/2019 धारा - 8/20एनडीपीएस एक्ट थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ
7. मु0अ0स0 92/2021 धारा - 5/25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
8. मु0अ0स0-433/21 धारा-386/506 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
9. मु0अ0स0-75/23 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
10. मु0अ0स0-168/23 धारा-168/23 धारा-307/34/411 भादवि थाना मैडिकल कॉलेज मेरठ
11. मु0अ0स0-107/23 धारा-392 भादवि थाना मैडिकल कॉलेज मेरठ
12. मु0अ0स0-86/23 धारा-379/411 भादवि मेरठ
13. मु0अ0स0-70/23 धारा-392 भादवि थाना लालकुर्ती मेरठ

14.मु0अ0स0-649/25 धारा-191(2) / 191(3)/ 125 बीएलएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 ए.एक्ट
थाना लोहियानगर मेरठ

15.मु0अ0स0-454/25 धारा-25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ

16.मु0अ0स0-453/25 धारा-307/120बी भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ

2.अभियुक्त शान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-34/2026 धारा 317(2), 318(4)BNS थाना देहलीगेट मेरठ

3.अभियुक्त सोनू उर्फ अरमान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-442/22 धारा-380/411 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ

4.अभियुक्त कामिल आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

लूट के 02 लाख 03 हजार 540 रु0 नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

2.थाना वेवसिटी पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 30.08.2026 को समय सायं लगभग 04:30 बजे प्रार्थी के भाई रिकू उर्फ रिशांत पुत्र निरंजन शर्मा द्वारा गाँव के ही सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी ग्राम कनौजा को भाई न बोलने पर उक्त सोनू द्वारा अपने चचेरे भाई मोहित पुत्र जीतू व अन्य सोएब पुत्र पेले, छोटा मोहित पुत्र सीताराम, दीपु पुत्र कुल्लन, विकास शर्मा पुत्र कृष्ण, प्रिंस पुत्र जीतू व जीतू पुत्र रिछपाल व कुछ अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी के भाई रिकू उर्फ रिशांत पुत्र श्री निरंजन शर्मा के साथ विवाद/मारपीट की गयी। सूचना मिली तो प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजाराम व अन्य परिवारजन झगड़े में बीच-बचाव के लिए आये तो मोहित पुत्र जीतू व सोएब पुत्र पेले द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों पर जान से मारने की मंशा से हमला कर दिया गया, साथ ही विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा प्रार्थी के घरों में घुसकर भी मारने का प्रयास किया गया। घटना का शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामवासियों के एकत्रित हो जाने पर विपक्षी उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। इस घटना में प्रार्थी मनीष कुमार व परिवारजन अंकित शर्मा व सचिन शर्मा पुत्रगण सत्यप्रकाश शर्मा व रिकू उर्फ रिशांत शर्मा पुत्र निरंजन शर्मा को काफी गंभीर चोटें आई हैं तथा प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र राजाराम को मेडिकल उपचार के लिए जीवन अस्पताल मोदीनगर में ले जाया गया तो वहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2),191(3),190,103(1), 109(1),115(2),351(3),333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा 2. सोएब पुत्र पेले 3. प्रिंस पुत्र जीतू निवासीगण ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 02.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रिछपाल 2.दीपू त्यागी पुत्र कुलदीप त्यागी उर्फ कुल्लन 3.मोहित उर्फ छोटा मोहित उर्फ ऋतिक पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त तलवार, एक हथौडेनुमा बारूद वाली रॉड व एक लोहे की सरिया हिसाली रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों से बरामद किये गये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण उपरोक्त से पूछताछ करने पर जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि मेरे छोटे बेटे मोहित का रिकू व अंकित के साथ विवाद हो गया था, जिसमें मैं भी मौके पर पहुँच गया था और मेरा बड़ा बेटा भी मौके पर आ गया था उसी दौरान मोहित, छोटा मोहित उर्फ ऋतिक, सोएब, दीपू, विकास शर्मा उर्फ सैंकी ये लोग भी मौके पर मौजूद थे और मौके पर मेरे छोटे बेटे मोहित को चोट आ गयी थी, चोटें देखकर हम लोग उत्तेजित हो गये थे, मोहित और मैंने तलवार से व मेरे साथियों द्वारा डण्डा, लोहे की रॉड व फावडे से देवेन्द्र शर्मा, अंकित शर्मा, रिकू शर्मा व मनीष शर्मा के ऊपर वार कर दिया था जिसमें देवेन्द्र के तलवार लगने के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रिछपाल निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 54 वर्ष
- 2.दीपू त्यागी पुत्र कुलदीप त्यागी उर्फ कुल्लन निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष
- 3.मोहित उर्फ छोटा मोहित उर्फ ऋतिक पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त तलवार, एक हथौडेनुमा बारूद वाली रॉड व एक लोहे की सरिया हिसाली रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों से बरामद किये गये।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.सूबे पुत्र रामेश्वर निवासी बड़का आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद 2. विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी

जलालपुर रोड गली नंबर 11 थाना मुरादनगर गाजियाबाद 3. आकाश पुत्र सुंदर निवासी मेन बाजार चामुंडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद। अभियुक्तगणों से बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर धारा- 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। मोबाइल बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा अवैध असलाह बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने इस मोटरसाइकिल से कुछ दिन पहले नाहल रोड के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग गए थे तथा जो तमंचे हमसे बरामद हुए हैं ये हम स्नैचिंग के दौरान लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सूबे पुत्र रामेश्वर निवासी बड़का आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
2. विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी जलालपुर रोड गली नंबर 11 थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष
3. आकाश पुत्र सुंदर निवासी मेन बाजार चामुंडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

1. अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस,
2. 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस,
3. 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त मोबाइल स्नैचिंग की घटना के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अवैध असलाह बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना ट्रैनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना ट्रैनिका सिटी पर वादी अरुण कुमार निवासी भजनपुरा दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.सुमन 2.श्रीपाल 3.विकास 4.आकाश 5.सागर 6.यश 7.चंचल द्वारा वादी के पुत्र तरुण के साथ गाली-गलौज, मारपीट, फोन पर जान से मारने की धमकी देना व अपने ऑफिस बुलाकर जान से मारने की नियत से गोली मारना, जिससे वादी के पुत्र तरुण का गोली लगने पर घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रैनिका सिटी पर सुसंगत धारा-115(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रैनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. आकाश शर्मा पुत्र श्रीपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष 2. सागर उर्फ शैलेन्द्र शर्मा उर्फ बुल्ली पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली

उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद हुयी। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों चचेरे भाई है। तरुण रिश्ते में हमारा जीजा लगता है। तरुण की शादी आकाश शर्मा की सगी बहन चंचल शर्मा से करीब 09 वर्ष पहले हुई थी। बहन के तीन बच्चे है। तरुण का हमारी बहन के साथ मारपीट व पुरानी घरेलू बातों को लेकर विवाद चला आ रहा है। उसी विवाद के सम्बन्ध में जब मेरा जीजा तरुण हमारे ऑफिस इलायचीपुर रोड़ रामपार्क आये तब हम लोगों के बीच कहासुनी हो गई जिस कारण गुस्से में आकर आकाश ने पिस्टल से जीजा के ऊपर गोली चला दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. आकाश शर्मा पुत्र श्रीपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सागर उर्फ शैलेन्द्र शर्मा उर्फ बुल्ली पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में अभियुक्त आकाश शर्मा के विरुद्ध थाना सोनिया विहार दिल्ली में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि रिजवान पुत्र साबीर द्वारा वादी के खोखा से 01 गैस सिलेंडर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.09.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रिजवान पुत्र साबिर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास से जो गैस सिलेंडर बरामद हुआ हैं, ये मैंने रात में सैदपुर रोड पर एक खोखे से चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र साबिर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । पूर्व में 01 चोरी का अभियोग व धारा-307 भादवि का 01 अभियोग थाना भोजपुर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा खुद को उच्च रैंक का अधिकारी बताकर नोटिस के सैटलमेन्ट के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लाख 92 हजार रुपये व 03 मोबाइल फोन व 01 डायरी बरामद ।

दिनांक 01.09.2026 को शिकायतकर्ता श्री विकास मित्तल निवासी इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी गई और बताया कि अभियुक्त 1. अनिल प्रताप सिंह, 2. अनिकेत सिंह उर्फ कबीर सिंह, 3. सिद्धार्थ जैन, 4. सलमान, 5 अंकित द्विवेदी द्वारा वादी को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में फर्जी पहचान बताकर वादी से रंगदारी मांग रहे हैं व वादी से 50 लाख रुपये राशि ले लेने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 02.09.2026 को घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों 1. अंकित द्विवेदी पुत्र महेश चन्द्र द्विवेदी निवासी सैक्टर डी पैकेट ए फ्लैट न0- 1203 वसन्तकुंज थाना वसन्तकुंज नई दिल्ली 2-अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर 3. सिद्धार्थ जैन पुत्र अजीत कुमार जैन निवासी म0न0- 10 जे0पी0 ब्लॉक पीतमपुरा थाना मौर्य इन्क्लेव दिल्ली को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 लाख 92 हजार रुपये व 03 मोबाइल फोन व 01 डायरी बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित कर लगातार प्रयास जारी है ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक दुसरे का समर्थन करते हुए बताया कि विकास मित्तल निवासी इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के दिल्ली स्थित फर्म ए टु जैड के नाम NIA/CBI से सम्बंधित को नोटिस आया था जिस पर योगेश ने उक्त नोटिस के सम्बंध में अपने परिचित सलमान निवासी दिल्ली नाम के व्यक्ति से चर्चा की जिसने बताया कि मेरी जान पहचान सभी विभागों के काफी उच्च अधिकारियों से है । मैं मामला सैटलमेंट करा दूंगा । इस पर सलमान एवं सिद्धार्थ जैन के माध्यम से अनिल प्रताप सिंह द्वारा योगेश(फर्म के मैनेजर) से सम्पर्क किया गया एवं खुद को उच्च अधिकारी रैंक का अधिकारी बताया कि मैं आपके नोटिस का सैटलमेन्ट कराकर निस्तारण करा दूंगा नहीं तो आपको इसमें जेल जाना पड़ेगा और फर्म बर्बाद हो जायेगी । इसके लिये आपको 15 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे । इस पर अनिल प्रताप सिंह द्वारा योगेश के उपरांत फर्म के मालिक/मुकदमा उपरोक्त के वादी विकास मित्तल से सम्पर्क किया गया तथा बार बार नोटिस के नाम

पर कार्यवाही व जेल जाने का डर दिखाकर मुकदमा वादी विकास मित्तल से अवैध धनराशि की वसूली की गयी थी तथा इस काम के लिए अनिल प्रताप सिंह द्वारा अपने पुत्र अनिकेत उर्फ कबीर के साथ अंकित द्विवेदी को पैसे के लेने के लिए वादी के पास भेजा गया था और वादी से डरा- धमकाकर अवैध धन वसूली हम सभी ने मिलकर की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंकित द्विवेदी पुत्र महेश चन्द्र द्विवेदी निवासी सैक्टर डी पैकेट ए फ्लैट न0- 1203 वसंतकुन्ज थाना वसंतकुन्ज नई दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।
2. अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 64 वर्ष।
3. सिद्धार्थ जैन पुत्र अजीत कुमार जैन निवासी म0न0- 10 जे0पी0 ब्लॉक पीतमपुरा थाना मौर्य इन्कलेव दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अनिकेत उर्फ कबीर पुत्र अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. सलमान निवासी हरी नगर घंटाघर के पास दिल्ली।

बरामदगी-

- 01 लाख 92 हजार रुपये।
- 03 मोबाइल फोन।
- 01 डायरी।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग: -

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।